

प्रेषक,

विनीता सिंह

ID No-1985

Case ID: 6137

सिविल जज सी०डि०(त्वरित न्यायालय)

फर्रुखाबाद।

सेवा में,

माननीय महानिबंधक,

माननीय उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद, उ०प्र०।

द्वारा

श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय,

जनपद फर्रुखाबाद।

विषय:-वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2020-2021के संबंध में
प्रत्यावेदन।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 जो कि मुझे दिनांक 19.07.2021 को प्रदान की गयी है,के निम्नलिखित कालमो में दिया गया निष्कर्ष तथ्यों से विपरीत है जिसके संबंध में सविनय प्रत्यावेदन निम्नलिखित है:

1(e)iii- (Disposal of old Cases(Give number and year of old cases decided)

उक्त के संबंध में सादर निवेदन है कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा मात्र 48 पुराने वादों का निस्तारण किये जाने का उल्लेख कर टिप्पणी की गयी है कि:- "Most of the old Cases has been disposed as otherwise .A good number of very old cases are pending in this court " जबकि मेरे द्वारा किशोर न्याय बोर्ड में भी 15 पुराने लम्बित मामलों का निस्तारण किया गया है जो कि 1-1989 वर्ष का , 1-1993 वर्ष का,1-2003 वर्ष का,2-2004 वर्ष के,3-2005 वर्ष के,2-2010 वर्ष के,1-2011 वर्ष का,1-2012 वर्ष का,2-2013 वर्ष के,1-2014 वर्ष का है । जिस पर श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। मेरे द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम के न्यायालय में 48 पुराने वादों का तथा किशोर न्यायबोर्ड में 15 पुराने वादों का निस्तारण किया गया है। पूरे वर्ष में मेरे द्वारा कुल 63 पुराने वादों का निस्तारण किया गया है ।

मूल्यांकन वर्ष 2020-2021में कोविड-19 के कारण लगभग पूरे वर्ष न्यायालय का कार्य सामान्य रूप से संचालित नहीं हो सका तथा पक्षकार न्यायालय उपस्थित नहीं आये । दिनांक 05-01-2021के उपरान्त न्यायालय का कार्य सामान्य तौर पर शुरू हो गया परन्तु पक्षकारों की उपस्थिति बहुत कम रही । इसके उपरान्त भी मेरे द्वारा पूरी लगन व मेहनत के साथ दोनों न्यायालयों का कार्य करते हुये मामलों का निस्तारण किया गया।

मेरे द्वारा कोविड-19 की परिस्थितियों में पुराने मामलों में से 63 पुराने मामलों का निस्तारण किया गया जिसमें से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 5 प्राचीनतम वादों की सूची में से कुल 22 मामले भी शामिल है।

(संलग्नक-1)

इस कालम में पुराने मामलों (Old Cases)के बारे में केवल उनकी संख्या व वर्ष का उल्लेख करने का लिखा गया है, परन्तु श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा Oldest व very old cases का जिक्र करते हुये प्रतिकूल टिप्पणी की गयी है ।

श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी की गयी है- कि "Most of the old Cases has been disposed as otherwise" इसके संबंध में मेरा विनम्र निवेदन है कि प्राचीन आपराधिक मामलों में अभियुक्त या साक्षियों की अनुपस्थिति के कारण मामलों के निस्तारण में विलम्ब होता है । ऐसी परिस्थिति में बहुत कम मामलों में गुण-दोष के आधार पर निस्तारण किये जाने की सम्भावना होती है । इसके बावजूद मेरे द्वारा 8 प्राचीन वादों का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर किया गया है ।

श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा यह भी टिप्पणी की गयी है कि "A good number of very old cases are pending in this court " इसके संबंध में मेरा विनम्र निवेदन है कि न्यायालय में पुराने मामलों के ज्यादा संख्या में लम्बित होने में मेरी कोई भूमिका नहीं है मेरे द्वारा जितना सम्भव हो सका पुराने वादों का निस्तारण किया गया है । मेरे द्वारा मूल्यांकन वर्ष 2020-2021में कुल 1795 मामलों का निस्तारण कोविड-19 की कठिन परिस्थितियों में किया गया है तथा न्यायालय की pendency को यथा सम्भव कम करने का प्रयास किया गया है ।

उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये माननीय न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा पुराने वादों के निस्तारण के संबंध में दिया गया निष्कर्ष स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

(समर्थन में संलग्नक संख्या 2)

कालम नम्बर 1(g)Whether disposal of work is adequate(Give Percentage and reasons for short

disposal, if any) उक्त के संबंध में सादर निवेदन है कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा यह प्रतिकूल टिप्पणी की गयी है कि The officer has decided very few cases as contested (5 cases Out of more than 14000 cases) उक्त के बावत मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे द्वारा मूल्यांकन वर्ष 2020-2021 में अपर मुख्य न्यायिक दण्डिाधकारी के न्यायालय के साथ-साथ किशोर न्याय बोर्ड का कार्य भी किया गया है। अपर मुख्य न्यायिक दण्डिाधकारी के न्यायालय में मेरे द्वारा 05 मामलों का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर किया गया है तथा किशोर न्याय बोर्ड में भी मेरे द्वारा कुल 04 मामलों का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर किया गया है। इस प्रकार कुल 09 मामलों का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर किया गया है। जबकि श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों को ध्यान में ना रखते हुये केवल 05 मामलों का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर किया जाना अंकित किया गया है, जो तथ्य से भिन्न है। यह भी उल्लेखनीय है कि मूल्यांकन वर्ष 2020-2021 में ज्यादातर समय न्यायालय का कार्य कोविड-19 से प्रभावित होने के कारण सुचारु रूप से नहीं चला है। साथ ही कोविड-19 की परिस्थितियों में ज्यादातर मामलों में पक्षकार उपस्थित नहीं आ रहे थे तथा उनके विरुद्ध उत्पीडात्मक कार्यवाही भी नहीं की जा सकती थी। अतः पूर्ण गुण-दोष के आधार पर निर्णित मामलों की संख्या पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिये था।

श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा न्यायालय में 14,000 से ज्यादा मामले होने का अंकन किया गया है जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि अपर मुख्य न्यायिक दण्डिाधकारी के न्यायालय में Opening balance 11470 है, कुल institution 3155 है, Total disposal 2773 है तथा closing balance 11852 है। इसके अतिरिक्त किशोर न्याय बोर्ड में Opening balance 581, Total institution 103 है Total disposal 25 तथा closing balance 661 है। इस प्रकार दोनों न्यायालयों की pendency एक साथ देखी जाये तो कुल 12513 होती है। अतः श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा किया गया अंकन (5 cases Out of more than 14000 cases), भी तथ्य से भिन्न है जबकि तथ्य यह है कि कुल लम्बित मामले 12513 है तथा गुण-दोष के आधार पर निस्तारित मामलों की संख्या 09 है। (समर्थन में संलग्नक संख्या 2)

इस कालम में यदि आफिसर का निस्तारण कम हो तो उसका कारण उल्लेख किया जाना अपेक्षित था जबकि श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा लिखा गया कि Yes, the Disposal of work is adequate. Total Working days-178 days, the officer has achieved total 1413.77 Units. Percentage of work is 240.99%। इसके

उपरान्त इस कालम में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं थी परन्तु श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अपने स्वयं के assessment के विरुद्ध जाकर प्रतिकूल टिप्पणी की गयी है जो कि उचित नहीं है।

(समर्थन में संलग्नक संख्या 3)

उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये माननीय न्यायालय से निवेदन है कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा दिया गया निष्कर्ष The officer has decided very few cases as contested (5cases Out of more than 14000 cases), स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

1(g)(1) Number of cases decided after actual full contest-

उक्त के संबंध में सादर निवेदन है कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा इस कालम में केवल 05 मामलों का निस्तारण किये जाने का अंकन किया गया है। जबकि मेरे द्वारा 05 मामलों का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में किया गया है। मेरे द्वारा किशोर न्याय बोर्ड में भी 04 मामलों का निस्तारण पूर्ण गुण-दोष के आधार पर किया गया है। इस प्रकार मेरे द्वारा कुल 09 मामलों का निस्तारण पूर्ण गुण-दोष के आधार पर किया गया है। इसके अतिरिक्त मेरा यह भी निवेदन है कि मेरे द्वारा निस्तारित किये गये कुल 1795 मामलों में से 281 मामले अन्तर्गत धारा 156(3)दं०प्र०सं० के , 40 अन्तिम आख्या के मामले , 114 मामले अन्तर्गत धारा 203 दं०प्र०सं० के ,30 मामले कमिट कर सत्र न्यायालय को सुपुर्द किये गये तथा 307 जमानत प्रार्थना पत्रों इत्यादि का निस्तारण मेरिट पर किया गया।(समर्थन में संलग्नक संख्या -4)

अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये माननीय न्यायालय से निवेदन है कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा इस कालम में किया गया निष्कर्ष स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा मूल्यांकन वर्ष 2020-2021 में अतिरिक्त प्रभार के रूप में प्रभारी अधिकारी पुलिस प्रतिलिपि विभाग का कार्य भी किया गया है। जिसका उल्लेख श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा नहीं किया गया है। (समर्थन में संलग्नक संख्या-5) इस प्रकार मेरे द्वारा पूरी ईमानदारी व मेहनत से कार्य किया गया इसका सम्पूर्ण मूल्यांकन श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा नहीं किया गया है। श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा समस्त तथ्यों व मेरे द्वारा किये गये कार्यों को दृष्टिगत ना रखते हुये केवल अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में किये गये कार्य को दृष्टिगत रखते हुये Over all assessment में good की प्रविष्टि दी गयी है जो कि उचित नहीं है।

उक्त प्रत्यावेदन के आधार पर माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि मेरे द्वारा अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय व किशोर न्याय बोर्ड में किये गये समस्त कार्यों को ध्यान में रखते हुये दिये गये प्रतिकूल निष्कर्षों को अपलोकित करने व **Over all assessment** की प्रविष्टि उन्नयन (**Upgrade**) करने की कृपा करें। मैं माननीय न्यायालय की आजीवन आभारी रहूँगी।

अतः माननीय महोदय से प्रार्थना है कि मेरा प्रत्यावेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक 03.08.2021

भवदीया

(विनीता सिंह)

ID No-1985

सिविल जज सी०डि०(त्वरित न्यायालय)

फर्रुखाबाद।

संलग्नक:- उपरोक्तनुसार